



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012026-269538
CG-DL-E-22012026-269538

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026/माघ 2, 1947

No. 56]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2026/MAGHA 2, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 56(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 05/2025-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 31 दिसंबर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के तहत प्रकाशित है,-

- के पृष्ठ 5 में, पंक्ति 22 में, "पंजीकृत व्यक्ति" के स्थान पर "निर्माता" पढ़ा जाए;
- के पृष्ठ 6 में, पंक्ति 30 और 31 में, "अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा, यथास्थिति" के स्थान पर "अधिकार क्षेत्र के अधीक्षक, द्वारा" पढ़ा जाए;
- के पृष्ठ 9 में, पंक्ति 7 में, "अडतालीस" के स्थान पर "चौबीस" पढ़ा जाए;
- के पृष्ठ 12 में, पंक्ति 8 में, '6(6)' के स्थान पर '6(3)' पढ़ा जाए।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/72/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2026

G.S.R. 56(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 05/2025-Central Excise (N.T.), dated the 31st December, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 953(E), dated the 31st December, 2025,-

- (a) at page 19, in line 13, *for* “registered person” *read* “manufacturer”;
- (b) at page 20, in line 15 and 16, *for* “the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be” *read* “jurisdictional Superintendent of Central Excise”;
- (c) at page 22, in line 17, *for* “forty-eight” *read* “twenty-four”;
- (d) at page 24, in line 36, *for* “6(6)” *read* “6(3)”;
- (e) at page 27, in line 1, *for* “6(6)” *read* “6(3)”;
- (f) at page 27, in line 16, in column (2), *for* “14” *read* “16”.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 57(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व वभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2025-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 31 दिसंबर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 956(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के तहत प्रकाशित है, के पृष्ठ 36 में, पंक्ति 11 में, “चबाने वाली तंबाकू और जर्दा सुगंधित तंबाकू” के स्थान पर “गुटखा” पढ़ा जाए।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/72/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd January, 2026

G.S.R. 57(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 04/2025-Central Excise, dated the 31st December, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 956(E), dated the 31st December, 2025, at page 38, in line 17, *for* “chewing tobacco and jarda scented tobacco” *read* “gutkha”.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.